बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

पत्रांक-5/आ04-1012/2014-

प्रेषक,

<u>ई-मेल</u>

इन्दु भूषण प्रसाद,
अवर सचिव।

सेवा में,

<u>निबंधित</u>

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान/पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक-

विषय:- **मो० मिनसार हुसैन, अधिसूचित कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा-महाराजगंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप निर्गत दण्डादेश संख्या-495, दिनांक-26.08.2015 में आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर मंत्री कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दण्डादेश में संशोधन की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:- **मंत्री कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना का आदेश ज्ञापांक-635, दिनांक-23.01.2018**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंग के संबंध में कहना है कि मो० मिनसार हुसैन, कनीय अभियंता द्वारा अपने विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में निर्गत दण्डादेश संख्या-495, दिनांक-26.08.2015 (निन्दन आरोप वर्ष 2014-15 एवं संचयो प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक) के विरूद्ध माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया था। माननीय मंत्री महोदय द्वारा अपील अभ्यावेदन पर सुनवाई की गई तथा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत दण्डादेश को संशोधित करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का आदेश ज्ञापांक-635, दिनांक-23.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया है :-

- **संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।**

<u>अनुलग्नक-यथोक्त</u>।

विश्वासभाजन

ह०/-

(इन्दु भूषण प्रसाद)
अवर सचिव

ज्ञापांक-5/आ04-1012/2014- **पटना/दिनांक-**

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान/पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (अनुलग्नक सहित)।

ह०/-

(इन्दु भूषण प्रसाद)
अवर सचिव

ज्ञापांक-5/आ04-1012/2014- 212 **पटना/दिनांक-** 09/03/18

प्रतिलिपि-सचिव के निजी सहायक/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-02/आई०टी० कोषांग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मो० मिनसार हुसैन, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (अनुलग्नक सहित)।

9/3/18

(इन्दु भूषण प्रसाद)
अवर सचिव